कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश
17, न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ
दूरभाषः 0522–2204295, 2205310, फैक्सः 0522–2204163
टोल फ्री नम्बर 1800–121–3203
Website: https://www.upcane.gov.in / E-mail: upcdrs@gmail.com
Facebook: https:/www.facebook.com/upcane
Twitter: https://www.twitter.com/canewebsite
Youtube: https://www.youtube.com/channel/ucewkr8bagsaawmex09fjong

प्रेस–विज्ञप्ति

- सामयिक लिपिक पद से सीधे गन्ना संघ में स्थायी लिपिक पद पर नियम विरूद्ध समायोजित गन्ना समिति के 02 कार्मिकों का समायोजन निरस्त।
- श्री शिवशंकर यादव व श्री मो. मतीन खॉ, सामयिक लिपिक को नियम विरूद्ध गन्ना संघ में समायोजित किये जाने की शिकायत का लिया गया संज्ञान।
- सामयिक लिपिक से स्थायी लिपिक पद पर समायोजन की जांच हेतु कमेटी गठित।
- उच्च स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी की बैठक में रखकर नियम विरूद्ध समायोजन को निरस्त करने का लिया गया निर्णय।
- सम्बन्धित कार्मिकों का पक्ष सुनने के उपरान्त समायोजन आदेश किया गया निरस्त।
- सम्बन्धित कार्मिकों को उनकी मूल तैनाती स्थान सहकारी गन्ना समिति, कमलापुर में सामयिक लिपिक के पद पर किया गया तैनात।

लखनऊ, दिनांक 15.05.2018

सहकारी गन्ना विकास समिति लि., कमलापुर जनपद–सीतापुर में सामयिक लिपिक के पद पर तैनात कार्मिकों श्री शिवशंकर यादव एवं श्री मो. मतीन खॉ को उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के प्रावधानों के विपरीत गन्ना संघ में स्थायी लिपिक के पद पर वर्ष 2007 में समायोजित कर लिया गया। उक्त समायोजन को आधार मानते हुए प्रदेश की सहकारी गन्ना समितियों के अन्य सामयिक लिपिकों द्वारा भी गन्ना संघ में स्थायी लिपिक के पद पर समायोजित करने की मांग गन्ना आयुक्त एवं शासन के स्तर पर की गयी। शासन द्वारा प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत मांगी गयी आख्या के क्रम में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. द्वारा प्रकरण की जांच हेतु अपर गन्ना आयुक्त (मुख्यालय) की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी द्वारा श्री शिवशंकर यादव, सामयिक लिपिक एवं श्री मो. मतीन खॉ, सामयिक लिपिक को गन्ना संघ में समायोजन के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही नियमावली के संगत प्रावधानों के विपरीत बताते हुए संविलियन किये जाने सम्बन्धी आदेशों को सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निरस्त कराते हुए इन्हें इनके सामयिक लिपिक के मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने की संस्तुति की गयी।

Scanned by CamScanner

सक्षम प्राधिकारी, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में गन्ना आयुक्त एवं अध्यक्ष, राज्य गन्ना सेवा प्राधिकरण श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा श्री मो. मतीन खॉ एवं श्री शिवशंकर यादव को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया। जांच कमेटी की जांच आख्या एवं उक्त कार्मिकों द्वारा प्रस्तुत बचाव पक्ष के सम्यक अनुशीलन उपरान्त श्री शिवशंकर यादव व श्री मो. मतीन खॉ का समायोजन उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 के प्रावधानों के विपरीत पाये जाने की स्थिति में समायोजन आदेश को निरस्त करते हुए इन्हें इनकी मूल तैनाती की सहकारी गन्ना समिति, कमलापुर जनपद–सीतापुर में सामयिक लिपिक के पद पर तैनात किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

....

Scanned by CamScanner